

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

26-11-2013

अभिधेय उपस्थापित। अंचल अधिकारी नगर उन्हारी के पत्रांक 341 दिनांक 31-10-2013 से आम ईस्तर का तामिला प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन क प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही नाम एक ही पता एवं एक ही जमीन उरौव (इ.न.) के सदस्य हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक का ईश्वरी भूमि है जिसका मंग विक्रेता के पिता रामपति उरौव के नाम से चलता चलता है। आवेदक से खनिधानी रैयत का सम्बन्ध दादा-पौता का प्रस्तावित भूमि की विक्री के पश्चात आवेदक को 4-74 एकड़ भूमि शेष बचता है। आवेदक (विक्रेता) द्वारा अपनी पुत्री की शाही के सहसह से विक्री करना चाहते हैं प्रस्तावित भूमि विक्री करने हेतु अंचल अधिकारी द्वारा अनुमति की गई है। आवेदक द्वारा व्यान पत्र हासिल किया गया है कि मैं स्वयं मन से अपनी भूमि की विक्री कर रहा हूँ मैं किसी के दबाव या बहकाव में नहीं आकर भूमि विक्री कर रहा हूँ।

अतः अंचल अधिकारी नगर उन्हारी के अनुमति के आलोक में निम्नांकित भूमि की विक्री के लिये राजकुमारी देवी प्रति देवशरण उरौव ग्राम पारकाया टोला पाटगढ धान नगर उन्हारी जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के हाथों भूमि विक्री करने की दी जाती है।

ग्राम-प्रान्त-नं०	रपता	एकड़	रकबा	चौधरी
उरौव 1	123	245	0-33	अन-पसत उरौव को राम पति उरौव पं-देवन उरौव पं-हरिहर उरौव पं-उमान उरौव को जोसन उरौव
"	"	289	0-15	30 दुरवी उरौव पं-नीज विक्रेता पं-जुगल उरौव पं-एचोट नं० 285
"	"	237	0-60	अन-नीज सरिकर क-रासन मच्यी पं-08 एकड़ पं-नीज विक्रेता पं- 11

आवेदक एवं अवर निबंधक पदाधिकारी को सूचित करें।
 अस्थापित/संशोधित

उप समाह्वीत
 नगर उन्हारी

उप समाह्वीत
 नगर उन्हारी